

प्रेस नोट दिनांक 26.12.2024

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

□थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 01 होण्डा सिटी कार व 01 मोटरसाइकिल से 37.890 किग्रा0 अवैध गांजा किया गया बरामद।

□बरामद गांजा के साथ 03 शातिर तस्कर किये गये गिरफ्तार।

□बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 2.50/- लाख रूपये।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी व जनपद के रास्ते परिवहन के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र निषाद के नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 01 होण्डा सिटी कार व 01 मोटरसाइकिल से 37.890 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद करते हुए 03 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 25.12.2024 को थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान देखा गया कि बैरगाढ केसार चौराहे से 500 मीटर आगे रास्ते में चार पहिया वाहन व दोपहिया वाहन के पास खड़े 03 व्यक्ति कुछ बण्डल गिन रहे थे पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किये किन्तु मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के कब्जे से दो बड़े झोले में 37.890 किग्रा अवैध गांजा के साथ एक चारपहिया वाहन स0 UP26H5364 व एक मोटरसाइकिल स0 UP64AP6981 बरामद किया गया।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का नाम व पता-

1. मुराली पुत्र रामधनी निवासी ग्राम केसार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 51 वर्ष।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णानन्द मौर्य निवासी ग्राम बैरा दिरेहू थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष।
3. 3. निराला मौर्य पुत्र रामसखा मौर्य निवासी पचफेडिया पोस्ट भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 20 वर्ष।

पूछताछ विवरण-पूछताछ मे अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह बिहार से सस्ते दामो मे गांजा लाकर उत्तर प्रदेश मे उंचे दामो मे बेचकर मुनाफा कमाते है।

अभियुक्त मुराली उपरोक्त हत्या के अपराध में 10 वर्ष की सजा काटकर तीन महीने पहले ही घर आया है।

अभियुक्त मुराली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 42/13 धारा 302/201/404/394/34 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएनएस एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएनएस एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

अभियुक्त निराला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 87/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएनएस एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

- 1-दो बड़े झोले में 37.890 किग्रा0 नाजायज गांजा
- 2-एक चारपहिया वाहन स0 UP26 H5364 होण्डा सिटी
- 3-एक मोटरसाईकिल स0 UP64 AP6981 हीरो स्पलेण्डर प्लस

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 25.12.2024 समय 18.40 बजे स्थान केसार जंगल।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली
2. उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा चन्दौली
3. उ0नि0 घनश्याम तिवारी थाना चकरघट्टा चन्दौली
4. हे0का0 अभिषेक पाल थाना चकरघट्टा चन्दौली
5. का0 भूपेन्द्र भारतीया थाना चकरघट्टा चन्दौली
6. का0 शैलेन्द्र यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

► □ थाना सैयदराजा द्वारा 01 स्कार्पियों वाहन से लगभग 370 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की गयी बरामद

► □ बरामद शराब की कीमत लगभग 5,00,000/-रु.

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद के रास्ते अवैध शराब के परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में निरीक्षक अपराध दिलीप कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाईवे नौबतपुर पुलिस बूथ के पास सघन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कार्पियों वाहन से लगभग 370 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गयी।

उपरोक्त वाहन का चालक तेजी से वाहन को चलाते हुए आ रहा था कि पुलिस वालों को देखते ही अचानक वाहन को रोककर चालक व चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये।

मौके पर पकड़े गये स्कार्पियों वाहन को चेक किया गया तो उक्त वाहन में से अवैध नाजायज अंग्रेजी शराब कुल 22 बैग ब्लैक कलर जिसमे-

1-03 बैग मे BACARDI LEMON CLASSIC RUM प्रत्येक बैग मे 18 बोतल कुल 54 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML , BLENDERS PRIDE WHISKY

2-03 बैग मे प्रत्येक बैग मे 14 बोतल कुल 42 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML, ROYAL STAG DOUBLE DARK WHISKY 08 बैग मे प्रत्येक बैग मे 18 बोतल कुल 144 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML , OLD MONK XXX RUM

3-01 बैग मे 23 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML, SIGNATURE WHISKY

4-01 बैग मे 17 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML, ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKY

5-01 बैग मे 23 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML , 8 PM SPECIAL टेट्रा पाऊच

6-02 बैग मे कुल 360 पाऊच प्रत्येक बैग मे 180 पाऊच प्रत्येक पाऊच 180 ML , OFFICERS CHOICE ORIGINAL WHISKY टेट्रा पाऊच

7-02 बैग मे कुल 360 पाऊच प्रत्येक बैग मे 180 पाऊच प्रत्येक पाऊच 180 ML, AFTER DARK BLUE WHISKY

8-01 बैग मे कुल 42 केन प्रत्येक केन 180 ML।

जो लगभग 372 लीटर शराब बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 5,00,000/- रुपया है।

बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 242/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम बनाम बरामद वाहन संख्या UP67AD7768 का स्वामी शौकत अली पुत्र मुहम्मद यार C/O शकील अहमद धरना मुगलसराय चन्दौली मो.नं. 8340431150 स्थाई पता धोबहा मस्जिद के पास कैमूर धोबहा पूरब पट्टी कैमूर भभुआ बिहार, 2. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का स्थान-नौबतपुर पुलिस बूथ के पास NH2 हाईवे पर वफासला 05 कि०मी० पूर्व दिनांक 26.12.2024 समय करीब 02.58 बजे।

बरामदगी का विवरण-

- 1.BACARDI LEMON CLASSIC RUM कुल 54 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML ,
- 2.BLENDERS PRIDE WHISKY कुल 42 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML,
- 3.ROYAL STAG DOUBLE DARK WHISKY कुल 144 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML ,
- 4.OLD MONK XXX RUM 01 कुल 23 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML,
- 5.SIGNATURE WHISKY कुल 17 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML,
- 6.ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKY कुल 23 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML ,
- 7.8 PM SPECIAL टेट्रा पाऊच कुल 360 पाऊच प्रत्येक पाऊच 180 ML ,
- 8.OFFICERS CHOICE ORIGINAL WHISKY टेट्रा पाऊच कुल 360 पाऊच प्रत्येक प्रत्येक पाऊच 180 ML,
- 9.AFTER DARK BLUE WHISKY कुल 42 केन प्रत्येक केन 180 ML
- 10.एक अदद स्कार्पियो वाहन संख्या यूपी 67 एडी 7768

बरामद शराब की कुल मात्रा 370 लीटर

शराब की कीमत करीब 5,00,000/- रूपये

बरामदगी में पुलिस टीम का विवरण-

- 1.नि० दिलीप श्रीवास्तव - निरीक्षक अपराध थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.व०उ०नि० संतोष यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 3.का. विष्णु दत्त प्रजापति थाना सैयदराजा
- 4.का. अजय पटेल थाना सैयदराजा